6/12/21

वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया है कि मूल वाद डिक्री हो चुका है इसलिए इस प्रार्थना पत्र को आगे चलाए जाना कोई औचित्य नहीं है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नतीजा के बाद होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2021.12.30 14:30:11 IST
Reason: SelfAttested